..यालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– शारदा चौधरी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 12/2024

कमला पुत्री गोमती पत्नि श्री माणकदास जाति विश्नोई उम्र 56 वर्ष निवासी सालासर ननेउ तहसील व जिला फलोदी

-----प्रार्थिनी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

----- अप्रार्थी

दावा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जीवराज कुमावत वकील प्रार्थिनी
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

– : निर्णय :–

दिनांक :– 06 मार्च 2025

1. प्रार्थिनी के माता के नाम से वाके ग्राम चक 4 आरएसएम के मुरबा नंबर 148/3/12, 148/2/8, 148/4/5, 148/4/9, 148/4/10, 148/4/6 तादादी 87 बीघा कमाण्ड भूमि व चक 2 टीपीएम के मुरबा नंबर 188/3/14, 188/3/10, 188/3/11, 188/3/15 तादादी 30 बीघा भूमि पटवार हल्का मिठडिया भू0 अ0 नि0 बज्जू तेजपुरा जिला बीकानेर के कुल तादादी 117 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि स्थित थी।
2. यह है कि प्रार्थिनी की मातो का देहांत हो जाने के बाद इंतकाल दर्ज हुआ।
3. यह है कि प्रार्थीनी की माता गोमती के स्वर्गवास के बाद उनके जायज वारिसान का इंतकाल दर्ज किया गया।
4. यह कि प्रार्थीनी के नाम कमला के स्थान पर घर में बोलचाल का नाम टुगी पुत्री गोमती जाति विश्नोई रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है जिसे प्रार्थीनी दुरूस्त कराने का मुश्तहक है।
5. यह कि प्रार्थीनी के शिक्षा, पहचान पत्र, आधार कार्ड व समस्त दस्तावेज में कमल पुत्री गोमती जाति विश्नोई दर्ज तथा उक्त नाम परिवर्तन बाबत प्रार्थीनी ने राजस्थान राज पत्र साधारण में भी प्रकाशन करवा रखा है तथा न्यूज पेपर में भी प्रकाशन करवा रखा है।
6. यह कि हल्का पटवारी 4 आरएसएम व 2 टीपीएम द्वारा उक्त की गई तमाम कार्यवाही विदाउट ज्यूरिसडिक्सन होने से एवं इनिसियो वोईड है जिसे दुरूस्त कराने के प्रार्थीनी मुश्तहक है।

शारदा चौधरी
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम) बीकानेर मु. कोलायत

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी पैरोकारराज उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत से जवाब चाहा गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

8 प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रार्थी का शपथ पत्र एवं बयान गवाह श्रीमति कमला देवी के स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में दिए गए बयान आधार कार्ड की छाया प्रति, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिठडिया का स्थानांतरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति, वार्ड पंच वार्ड नं0 3 ग्राम पंचायत मिठडिया द्वारा प्रमाण पत्र, पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत मिठडिया का प्रमाण पत्र, राज्य निर्वाचन आयोग की वोटरलिस्ट 2021 की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत मिठडिया द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति, खसरा गिरदावरी की नकल एवं राजस्थान राज पत्र साधारण द्वारा दिनांक 04 जुलाई 2024 को प्रकाशित सार्वजनिक एवं निजी विज्ञापन एवं राजस्व तहसीलदार बज्जू एवं राजस्व तहसीलदार फलौदी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें टुगी का सही नाम कमला देवी होना अंकित किया है। जो शामिल पत्रावली है। एवं दैनिक सामाचार पत्र दैनिक भास्कर के बीकानेर संस्करण व कामयाब कलब के बीकानेर संस्करण में सार्वजनिक विज्ञिप्त प्रकाशित करवाई गई जिसमें कोई उज्र था ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

9. प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि टुगी का सही नाम कमला देवी है यह एक ही महिला के ही नाम है। इन नामों के दो–दो भिन्न महिला नहीं है। अतः टुगी का सही नाम कमला देवी पुत्र गोमती पत्नि श्री माणकराम जाति विश्नोई निवासी सालासर ननेउ तहसील व जिला फलौदी का संशोधन किया जाता है। उक्तानुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे।

10. पत्रावली तद्नुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 06.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(शारदा चौधरी)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत